मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023

चर्चा में क्यों

14 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुँचाने हेतु 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023' के प्रारूप को सहमति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023' के तहत अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य (पंजीकृत सक्रिय श्रमिक) को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- योजना के तहत भर्ती के समय दैनिक मज़दूरी समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक के खाते में ऑटो डीबीटी से भर्ती की अवधि या 7 दिवस (जो भी कम हो) के लिये प्रतिदिन 200 रुपए की सहायता पहुँचाई जाएगी। यह सहायता लाभार्थी के स्वयं या परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी।
- श्रमिक की अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में भी योजना के तहत सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mukhymantri-chiranjeevi-shramik-sambal-yojana